## (TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEVELOPMENT DEPARTMENT) DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING 49, SHAM NATH MARG, DELHI – 110054.

Dated: 24.04.2012

### **NOTIFICATION**

No. 8(1)/2001-DAM/MR/ //62 In exercise of the powers conferred by Section 116 read with section 79, 84, 86 & 88 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998, Delhi (Act No. 07 of 1999), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the rules to amend the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) General Rule, 2000 as following, namely:-

- 1. **Short title and Commencement** (1) These rules may be called, the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) General (Amendment) Rule, 2012.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Amendment of Rule 11- In the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) General Rule, 2000 below sub rule (8) of Rule 11, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that during vacancy in the office of the Chairman or Secretary, or both, of a marketing committee, senior accounts functionaries, not below the level of Assistant Accounts Officer, duly authorized by the Vice Chairman, shall sign cheques in place of the Chairman or the Secretary or separately for the Chairman and the Secretary of the marketing committee, respectively as the case may be, during the period of such vacancy(ies)".

By order and in the name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi

(Kailash Chandra)
Special Secretary (Development)
Govt. of NCT of Delhi

No. 8(1)/2001-DAM/MR/ 1/63-1/76

Dated: 24-04-2012

### Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi

2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad

3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi

- 4. The Principal Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 5. The Principal Secretary-cum-Commissioner Development, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
- 6. The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi.

7. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.

- 8. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
- 9. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra-Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
- 10. Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi/New Delhi and Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi, Khoya/Mawa Marketing Committee, Delhi and Flower Marketing Committee, Delhi.
- 11 The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi
- 12 The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi
- 13 The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi
- All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.

15 Guard file.

(KAILASH CHANDRA) SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT) GOVT. OF NCT OF DELHI

# (दिल्ली असाधारण गजट के भाग-4 में प्रकाशित किए जाने के लिए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विकास विभाग) कृषि विपणन निदेशालय 49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

दिनांक : 24.04.2012

## अधिसूचना

सं. एफ 8(1)/2001-डी0ए0एम0/एम0आर0///62 दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं० 7) की घारा 116 के साथ पठनीय घारा 79, 84, 86 व 88 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) सामान्य नियम, 2000 के नियम बनाने के लिए निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों को दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2012 कहा जाएगा।
  - (2) ये नियम दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगें।
- नियम 11 का संशोधन दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) सामान्य नियम, 2000 के नियम 11 के उप नियम (8) के नीचे निम्निलिखत परंतुक डाला जाएगा—

यदि समिति के अध्यक्ष या सचिव, या दोनों के कार्यालय में रिक्ति के दौरान वरिष्ठ लेखा अधिकारी जो कि सहायक लेखा अधिकारी के स्तर से नीचे का नहीं होगा, उपाध्यक्ष द्वारा अधिकृत किये जाने के बाद अध्यक्ष या सचिव, या समिति के अध्यक्ष और सचिव के लिए अलग—अलग रूप में रिक्तियों कि अविध(यों) के दौरान चेक पर हस्ताक्षर करेगा।

उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से तथा उनके आदेश पर,

र्कलाश्चार्

(कैलाश चन्द्र) विशेष सचिव (विकास) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सं. एफ 8(1)/2001-डीoएoएमo/एमoआरo///63-//<del>2</del> दिनांक : 24.04.2012

प्रतिलिपि:-

1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।

3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।

- 4 प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 5 प्रधान सचिव (विकास), दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- 6 सचिव, मंत्री (विकास), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

7 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सिचव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

- 8 अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 9 उप—सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्दप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग—4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति).
- 10 कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली/नई दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, खोया/मावा विपणन समिति, दिल्ली।
- 11 उप-सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 12 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 13 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 14 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।
- 15 गार्ड फाईल।

dimit 43

(कैलाश चन्द्र) विशेष सचिव (विकास) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार